राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर–302001
दूरभाष नं. 0141-2822852/47 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in
www.tourism.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.8(428)ट्रेड / 100 दिवस कार्ययोजना / पवि / 2019 / दिनांक :

संयुक्त निदेशक / उप निदेशक,
सहायक निदेशक / पर्यटक अधिकारी,
सहायक पर्यटक अधिकारी,
मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।

विषय : गाईड चयन संबंधी संशोधित नियमों का गजट नोटिफिकेशन सूचनार्थ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत गाईड चयन नियमों में संशोधन के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन उपरांत एक प्रति सुलभ संदर्भ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
अति. निदेशक, प्रशासन

क्रमांक : एफ.8(428)ट्रेड / 100 दिवस कार्ययोजना / पवि / 2019 / 2414-20 दिनांक : 25/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।
3. अति. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग।
4. निजी सचिव, अति. निदेशक (प्रशासन) पर्यटन विभाग।
5. निजी सचिव, अति. निदेशक (विकास) पर्यटन विभाग।
6. प्राचार्य, होटल प्रबंध संस्थान, जयपुर।
7. ए.सी.पी (डी.डी.) को हिन्दी व अंग्रेजी में संशोधित एवं गजट में प्रकाशित नियमों की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया इन नियमों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(आनन्द त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (ट्रेड)

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 25, मंगलवार, शाके 1943–जून 15, 2021
Jyaistha 25, Tuesday, Saka 1943- June 15, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 22, 2021

जी.एस.आर.283 :-राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 9) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) नियम, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4, 5, 6,7,8 और 9 का प्रतिस्थापन.**- राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) नियम, 2010,जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के विद्यमान नियम 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4 गाइडों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं.**- गाइड के रूप में प्रशिक्षित और अनुज्ञप्त किये जाने की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात्:-

(i) राज्य स्तर के गाइड के लिए- अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी संस्था से पर्यटन में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक होना चाहिए;

(ii) स्थानीय स्तर के गाइड के लिए - अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए:

परन्तु स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के मामले में सैकण्डरी परीक्षा की उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हता की अपेक्षा को शिथिल किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति के पास दस वर्ष से अधिक की गाइडिंग का अनुभव है और वह वन विभाग/पुरातत्व एवंसंग्रहालय विभाग/अन्य सरकारी

उपक्रम/विभाग या निजी न्यासों द्वारा चलाये जा रहे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों द्वारा जारी परिचय-पत्र/ अनुज्ञप्ति कार्डरखता है। ऐसे अनुभव का सत्यापन,प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी के उपस्थित होने से पूर्व, पर्यटन विभाग के संबंधित स्थानीय कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

5. गाइडों के अनुज्ञापन के लिए आयु.- राज्य स्तर या स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति ने, उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को, जिस वर्ष राज्य स्तर या स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो:

परंतु स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तिके मामले में ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष होगी यदि उनके पास नियम 4के परंतुक मेंयथा विनिर्दिष्ट अनुभव है।

6. पर्यटन गाइडों के प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए आवेदनआमंत्रित करना.- (1)अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गाइडों की संख्याके अवधारण के पश्चात्, गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन, राज्य में विस्तृत परिचालन वाले समाचारपत्र में विज्ञापित औरसाथ ही साथ पर्यटन विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके, आयुक्त द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में, स्थानीय स्तर और राज्य स्तरके गाइडों के लिए सुस्पष्ट रूप से अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओंके साथ ही प्रशिक्षण के लिए,यदि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया जाये, प्रभारित की जाने वाली फीस अंतर्विष्ट होंगी। आवेदन प्ररूप ऐसा होगा जैसाकि आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाये। आवेदक, आयुक्त द्वारायथाअवधारित आवेदन फीस उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संदाय करेगा। आवेदन,आयुक्त के विनिश्चय के अनुसार आनलाइन या आफलाइन ढंग से आमंत्रित किये जायेंगे और आवेदक को तदनुसार आवेदन करना होगा।

(2) आवेदक जो, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा, दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं,इन में से प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग आवेदन करेंगे और इन में से प्रत्येक परीक्षा के लिए लागू फीस का अलग-अलग संदाय करेंगे।

(3) विज्ञापन में अधिसूचित अंतिम तारीख तक प्राप्त समस्त आवेदनों की संवीक्षा की जायेगी और प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जायेगी और पर्यटन विभाग की शासकीय वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगीऔर प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः ई-मेल द्वारा या ऐसी अन्य रीति से जो आयुक्त द्वारा विनिश्चितकी जाये, संसूचित की जायेगी। आवेदकों से अपेक्षित होगा कि समय-समय पर पर्यटन विभाग की वेबसाइट देखते रहें। सूचना के ई-मेल की अप्राप्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गये अभ्यर्थी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी या विहित प्राधिकारी द्वारासंचालित लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे। प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार प्रवेश परीक्षा,आनलाइन या आफलाइन संचालित की जा सकेगी।

(5) प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा, उप-नियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों और उप-नियम (7) में यथा विनिर्दिष्ट बोनस अंकों, यदि कोई हों, के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

(6) गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण ऐसा होगा, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। यदि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो वह योग्यता के आधार पर सामान्य या अन्य प्रवर्गों से संबंधित आवेदकों से भरी

जायेगी। चूंकि पर्यटन गाइडों के चयन और प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें स्व-नियोजन के लिए तैयार करना है, इसलिए सीटों की रिक्त संख्या को अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(7) किसी भारतीय या विदेशी भाषा में शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय बोनस अंक दिये जायेंगे। बोनस अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे:-

(i) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्था/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री होने पर दस अंक,

(ii) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्था/ डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा होने पर पांच अंक,

(iii) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्था/ डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र होने पर तीन अंक, और

(iv) कम से कम 10 वर्षों से विदेशी भाषा में पाठ्यक्रम चला रहे रजिस्ट्रीकृत या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राजदूतावास द्वारा सिफारिश किये गये या अनुमोदित संस्थान से विदेशी भाषा में डिग्री के लिए दस अंक, डिप्लोमा के लिए पांच अंक और प्रमाणपत्र के लिए तीन अंक।

(8) अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों और बोनस अंकों, यदि कोई हों, के आधार पर गाइड के रूप में प्रशिक्षण के प्रवेश के लिए अंतिम रूप से चयनित किये गये हैं, प्रशिक्षण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप-ग में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थी, पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा यथा विनिश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण लेंगे।

(9) स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर की जायेगी और राज्य स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अपर निदेशक, प्रशासन विकास, पर्यटन विभाग, जो राज्य स्तर के गाइडों के अनुज्ञापन के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथा परिभाषित विहित प्राधिकारी भी होगा, के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन जयपुर और/या राज्य के मुख्य शहरों में की जायेगी।

7. आयु, शैक्षणिक अर्हता और प्रशिक्षण में शिथिलीकरण.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त,यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति चाहने वाले पदधारी के पास पर्यटकों को गाइड करने का पर्याप्त अनुभव है और गाइड के रूप में कर्त्तव्यभार लेने के लिए उपयुक्त है और अनुज्ञप्त किये जाने की आवश्यकता है,उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट रीति में अधिकतम आयु और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगा और प्ररूप घ-1 या, यथास्थिति, प्ररूप घ-2 में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।

(2) गाइड अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आयुक्त द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिकतम आयु और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिथिलीकरण मंजूर किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) पर्यटन विभाग के सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी;

(ख) पर्यटन विभाग के सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारी; या

(ग) संघ के सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य;

परंतुउपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन आने वाले व्यक्तिराज्य स्तर के गाइड के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए ऐसे शिथिलीकरण के पात्र होंगे और जो खण्ड (ख) और (ग) के अधीन आते हैं, स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होंगे जिन्हें अनुज्ञप्तियां जारी करने से पूर्व लघु प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि शिथिलीकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर ऐसा शिथिलीकरण चाहते हैं।

(3) शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण केवल नियम 4 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मंजूर किया जायेगा।

8. स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण.- (1) जब कभी स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी का चयन किया जाता है तो पर्यटन विभाग, उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के पाठ्य विवरण के अनुसार गाइड के व्यवसाय के लिए समस्त सूचना और जानकारी से उसे अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण, पर्यटन विभाग या राज्य के अन्य विभागों के ऐसे अनुदेशकों और अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा जैसा आयुक्त समय-समय परइस निमित्त अवधारित करे।

(2) स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य विवरण निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य विवरण

1. राजस्थान का इतिहास (दो व्याख्यान)।
2. भारत के विभिन्न धर्मों का आधोपान्त अवलोकन।
3. राजस्थान की कला, संस्कृति और विभिन्न परम्पराएं (दो व्याख्यान)।
4. राजस्थान के मेले और उत्सव।
5. राजस्थान के नृत्य और संगीत।
6. राजस्थान का स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य (दो व्याख्यान)
7. स्थानीय संस्मारकों पर जानकारी (चार व्याख्यान)।
8. राजस्थान का वन्य जीवन, वनस्पति और जीव-जन्तु।
9. राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल (दो व्याख्यान)।
10. युवा पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन (दो व्याख्यान)।
11. योग और ध्यान।
12. विरासत होटल और राजस्थान पर्यटन में उनका योगदान।
13. परिवहन सुविधाएं, होटल, पाकशैली।
14. हवाई/रेल/बस टिकिटों को बुक करना, उनकी पुष्टि करना।
15. वीजा,पासपोर्ट,विदेशी विनिमय औपचारिकताएं।
16. श्रेष्ठ गाइड कैसे बनें (दो व्याख्यान)।
17. पर्यटकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति आधारभूत शिष्टाचार, सभ्याचार।
18. यात्रा कार्यक्रम कैसे बनायें।
19. दृश्यावलोकन का आयोजन कैसे करें (तीन व्याख्यान)।
20. स्थानीय हस्तशिल्प, पर्यटकों को खरीददारी के लिए ले जाने के गुण-दोष।
21. कोविड-19, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव कार्य, स्वच्छ भारत अभियान।
22. पर्यटक सहायता बल।

(3) यह पाठ्य विवरण, पर्यटन व्यवसाय की अपेक्षानुसार, समय-समय पर पर्यटन विभाग द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(4) स्थानीय स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 48 घण्टे की अवधि का होगा जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

(5) प्रशिक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि कुछ अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधीन आने वाले विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित ज्ञान और जानकारी कम है और जब यह तथ्य आयुक्त की जानकारी में लाया जाता है और उस की राय है कि गाइड के रूप में व्यवसाय करने से पूर्व उन अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित ज्ञान आवश्यक है और उनके ज्ञान में और वृद्धि किया जाना अतिरिक्त रूप से लाभप्रद होगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में आयुक्त द्वारा प्रशिक्षण को एक या दो सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(6) सामान्यतः प्रशिक्षण पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा किन्तु जहां आवश्यक हो, राज्य के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारियों को भी सम्बद्ध किया जा सकेगा जो ज्ञान के किसी विशिष्ट विशेषज्ञ क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी रखते है। प्रोफेसरों, व्याख्याताओं और अन्य विशेषज्ञों जैसे विख्यात शिक्षाविदों, अपेक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षणार्थी गाइडों को व्याख्यान देने और प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।

(7) जहां आयुक्त को यह प्रतीत हो कि स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण या स्थल पर प्रशिक्षण आवश्यक है तो वह स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में अनुज्ञापन से पूर्व उन्हें इसके लिए निदेश दे सकेगा।

(8) प्रत्येक आवेदक को प्रभारी अधिकारी, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करेगा,के समाधानप्रद रूप में प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

9. राज्य स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण.- (1) जब कभी राज्य स्तर के गाइड के प्रशिक्षण के लिए कोई अभ्यर्थी चयनित किया जाता है वहां पर्यटन विभाग उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के पाठ्य विवरण अनुसार राज्य स्तरीय गाइड के व्यवसाय की समस्त जानकारी और ज्ञान से अवगत कराने के लिए उसे प्रशिक्षण देगा।

(2) राज्य स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण का पाठ्य विवरण निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

राज्य स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण का पाठ्य विवरण

1. भारत और राज्य का इतिहास।
2. प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां।
3. पर्यटन सेक्टर के विशेष संदर्भ में राज्य का विकास।
4. भारत के मुख्य धर्म,-
   (क) हिन्दू
   (ख) इस्लाम
   (ग) ईसाई
   (घ) सिख
   (ङ) बौद्ध
   (च) जैन

(छ) पारसी

5. राज्य की कला, संस्कृति और प्रचलित परम्पराएं।

6. राज्य का पुरातत्व विज्ञान।

7. राज्य के नृत्य।

8. राज्य की स्थापत्यकला।

9. राज्य का संगीत।

10. राज्य का वन्य जीवन, वनस्पति और जीव-जन्तु, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क।

11. राज्य के भीतर और बाहर के पर्यटक स्वागत केन्द्र/सूचना ब्यूरो।

12. राज्य में युवा पर्यटन/साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग और अन्य क्रियाकलाप।

13. राज्य के हस्तशिल्प।

14. राज्य मे खरीददारी।

15. उपर्युक्त मदों 5-14 का भारत के संदर्भ में कार्यसाधक ज्ञान।

16. पर्यटन विभाग की भूमिका और क्रियाकलाप,-

(क) क्रय-विक्रय और उसका संवर्धन

(ख) आधारभूत संरचना का विकास

(ग) स्कीम और परियोजनाएं

(घ) जन-सम्पर्क, मीडिया सम्पर्क

(ङ) आतिथ्य

(च) पर्यटन व्यापार का पारस्परिक प्रभाव

(छ) पर्यटक सहायता बल और गाइड सेवाएं

(ज) नवीन पर्यटन नीति, 2020

17. राज्य में भूतल परिवहन,-

(क) भारतीय रेल

(ख) अनुमोदित पर्यटक परिवहन आपरेटर

(ग) सड़क सेवाएं

(घ) इंडियन एसोसिएशन आफ टूर ऑपरेटर्स।

18. राजस्थान पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड़।

19. पैलेस आन व्हील्स।

20. राज्य की पाकशैलियां।

21. योग, ध्यान और स्वास्थ्य पर्यटन।

22. राज्य में होटल वास-सुविधा,-

(क) अनुमोदित होटल,विरासत होटल,स्टार होटल

(ख) होटलों का वर्गीकरण

(ग) यात्री वासा, ब्रेड और अल्पाहार, सशुल्क अतिथि गृह

(घ) वन वासा और अन्य विश्राम गृह

(ङ) धर्मशालाएं, अतिथि-गृह और अन्य वास-सुविधा, और

(च) आनलाइन बुकिंग का ज्ञान, होमस्टे प्रसुविधाएं।

23. राज्य के यात्रा एजेंट, टूर आपरेटर, भ्रमण एजेंट और सफारी आपरेटर।
24. यात्रा कार्यक्रम/भ्रमण-सूची कैसे बनायें और सेवाओं को आनलाइन बुक कराना।
25. निम्नलिखित के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण-
(क) दृश्यावलोकन आयोजित करने की कला,
(ख) अच्छा गाइड कैसे बनें, और
(ग) राज्य में चयनित स्थानों का दृश्यावलोकन टूर।
26. कोविड-19,आपदा प्रबंधन,खोज और बचाव कार्य,स्वच्छ भारत अभियान।

(3) यह पाठ्य विवरण पर्यटन व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
(4) उक्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 60 घण्टे की अवधि का होगा,जिसमें 80प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।
(5) राज्य स्तर के गाइडों का प्रशिक्षण, कक्षा के व्याख्यान के अलावा, राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यों के टूर कार्यक्रम को परिवृत करेगा जहां महत्वपूर्ण भूमि चिह्नों, संस्मारकों को सम्मिलित करते हुए विरासत स्थलों के साथ ही पारिस्थितिक पर्यटन, वन्य-जीवन सफारी इत्यादि को विशेष महत्व देते हुए प्रशिक्षकों, विभागीय अधिकारियों, कार्यरत अनुभवी गाइडों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्थल प्रशिक्षण दिया जायेगा जो प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हो सकेगा।
(6) बाह्य प्रशिक्षण के समस्त व्यय,यदि कोई हों, प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे। तथापि, पर्यटन विभाग विभिन्न स्थानों और अवस्थानों की यात्रा, बोर्डिंग और आवास के मामलों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के टूर का समन्वय करेगा।
(7) राज्य स्तर के गाइड प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण से सुसंगत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के व्याख्यानों की भी व्यवस्था की जायेगी यथा- प्रशासकों, प्रोफेसरों, रीडरों,व्याख्याताओं, पर्यटन से सुसंगत विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भी विभाग द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी।
(8) प्रशिक्षणार्थियों के बीच विशेष समझ बढ़ाने और व्यक्तियों/पर्यटकों के समूह से बातचीत के लिए उनमें विश्वास जगाने के लिए बार-बार सामूहिक विचार-विमर्शभी आयोजित किये जा सकेंगे।
(9) प्रत्येक आवेदक को प्रभारी अधिकारी, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करेगा, के समाधानप्रद रूप में प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

9क. गाइड के रूप में अनुज्ञापन के लिए आवेदन.- (1) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, वे गाइड के रूप में अनुज्ञप्त किये जाने के लिए पात्र घोषित किये जायेंगे।
(2) वे सभी व्यक्ति जो उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्त किये जाने के पात्र हैं,अनुज्ञप्ति फीस, जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए,के संदाय के सबूत और स्थानीय पुलिस थाना जिसकी अधिकारिता में अभ्यर्थी निवास कर रहा है, से सदाचार और सच्चरित्र के पुलिस सत्यापन सहित राज्य स्तर के गाइड अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप ग-1 में अपर निदेशक (प्रशासन/विकास) पर्यटन विभाग,राजस्थान को या स्थानीय स्तर के गाइड अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप ग.-2 में संबंधित विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। पुलिस सत्यापन के बिना अभ्यर्थी को गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड जारी किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) ग-1 और ग-2 में आवेदन प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी,राज्य स्तर के गाइडों को प्ररूप घ-1 में और स्थानीय स्तर के गाइडों को प्ररूप घ-2 में, गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड जारी करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन जारी किया गया गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड दो वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगा जो आयुक्त,पर्यटन द्वारा राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के गाइड के लिए यथा अवधारित नवीकरण फीस के संदाय के पश्चात्, वैधता की समाप्ति से 3 माह के भीतर यदि इसके लिए आवेदन किया जाता है तो,नियमानुसार नवीकृत किया जा सकेगा। इसके पश्चात् विलंब के लिए यह अतिरिक्त नवीकरण फीस, जो गाइडों के दोनों प्रवर्गों के लिए आयुक्त, पर्यटन द्वारा अवधारित की जाए, के संदाय और समस्त गाइडों के लिए अधिकथित सामान्य शर्तों के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण के लम्बित रहने के दौरान, विहित प्राधिकारी प्ररूप घ-3 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) प्रत्येक राज्य स्तर का गाइड, पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना ब्यूरो और संबंधित विहित प्राधिकारी को, कार्य के अपने मुख्य स्थान और मोबाइल के संपर्क नंबर से संसूचित करेगा और राज्य में जहां कहीं वह कार्य करे, निकटतम पर्यटक सूचना ब्यूरो या पर्यटक स्वागत केन्द्र को अपने क्रियाकलापों के बारे में भीसूचित करेगा। पते और दूरभाष संख्यांक में कोई परिवर्तन संबंधित प्राधिकारियों और पर्यटन विभाग, राजस्थान के अधिकारियों को संसूचित किया जायेगा।

(6) राज्य स्तर के गाइड द्वारा उपर्युक्त शर्त के पालन करने में कोई चूक उसे उसके गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड के रद्दकरण का दायी बना देगी:

परन्तु ऐसी किसी गलती के लिए प्रमाणपत्र और परिचय-पत्र के रद्दकरण के लिए आदेश करने से पूर्व विहित प्राधिकारी, संबंधित गाइड को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जहां उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत होता है, वहां तात्पर्यित कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(7) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्तर के गाइड के रूप में और स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में व्यक्तियों को जारी समस्त गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड ठीक धारित किये जायेंगे और उनकी विधिमान्यता कालावधि तक विधिमान्य रहेंगे और इन नियमों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे किन्तु तथापि, इन नियमों के अनुसार नवीकरण के अध्यधीन होंगे और ऐसे समस्त गाइड,इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से, इन नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(8) आयुक्त, इन नियमों के अधीन पर्यटन गाइडों के चयन, उनके प्रशिक्षण, फीस विहित करने और अनुज्ञप्ति जारी करने से संबंधित समस्त मामलों के लिए, समय-समय पर निदेश जारी करने के लिएसक्षम होगा।"

3. प्ररूप ग का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ग में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 4(1) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति"[नियम 6(8) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. प्ररूप ग-1 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ग-1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(2) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(2) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. प्ररूप ग-2 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ग-2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(2) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(2) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. प्ररूप घ-1 का संशोधन.-उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप घ-1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(3) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति"[नियम 9क(3) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. प्ररूप घ-2 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप घ-2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(3) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(3) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. प्ररूप घ-3 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप घ-3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(4) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(4) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ 8(428)/ट्रेड/पर्य/19/998]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
गायत्री राठौड़,
प्रमुख शासन सचिव।

DEPARTMENT OF TOURISM

NOTIFICATION

Jaipur, April 22, 2021

G.S.R.283 .-In exercise of the powers conferred by section 31 of the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the State Government hereby makes the following rules to amend the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Rules, 2010 namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2.Substitution of rule 4, 5, 6, 7, 8 and 9.- The existing rule 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Rules, 2010, herein after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"4. Educational qualification for Guides.- Any person desiring to be trained and licensed as a Guide must possess the following minimum academic qualification, namely:-

(i) For State Level Guide -	The candidate must be a graduate from any University established by law in India or must possess three year's diploma in Tourism from any University established by law in India or any institute approved for the purpose by the State Government;
(ii) For Local Level Guides -	The candidate must have passed Secondary Examination or 10th Examination from a Board of Secondary Education established by law in India:

Provided that in case of entrance examination of Local Level Guide Training Course the requirement of above educational qualification of secondary examination shall be relaxed, if any person is having experience of guiding of more than ten years and possesses Identity Card/License issued by the Forest Department/ Department of Archaeology & Museums/other Government enterprise/Department or monuments of historic importance run

by private trusts. The verification of such experience shall be done by the concerning local office of the Tourism Department before the applicant appears in the entrance examination.

5. Age for licensing of Guides.- The person seeking admission in entrance examination for admission to State Level or Local Level Guide Training Course must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 50 years on the 1st day of the month of April of the year in which applications for admission in entrance examination for admission to State Level or Local Level Guide Training Course are invited:

Provided that the upper age limit shall be 55 years in case of the persons seeking admission in entrance examination of Local Level Guide Training Course if they have experience as specified in proviso to rule 4.

6. Inviting of applications for admission to training of tourist guides.- (1) After determination of number of Guides by the State Government under sub-section (1) of section 8 of the Act, applications for admission to guide training course shall be invited by the Commissioner by advertising in newspaper having wide circulation in the State as well as displayedon the website of the Department of Tourism, Rajasthan. The advertisement shall contain minimum qualification required for Local Level and State Level Guides distinctly as also fee to be charged for training, if found suitable for training. The application form shall be such as may be determined by the Commissioner. The candidate must pay application fee as determined by the Commissioner in manner specified by him. The applications shall be invited through online or offline mode as per the decision of the Commissioner and the applicant shall have to apply accordingly.

(2) Those applicants desiring to apply for both State Level and for Local Level Guide training course entrance examination shall have to apply separately for each of these examinations and shall pay separately fee applicable for each of these examinations.

(3) All applications received upto the last date notified in the advertisement shall be scrutinized and list of candidates found eligible for undertaking the entrance examination shall be declared and displayed on the notice board and official website of the Department of Tourism and will also be communicated individually by e-mail or such other method as may be decided by the Commissioner to all the candidates found eligible for undertaking the entrance examination. The applicants are expected to check the website of the Department of Tourism from time to time. Non-receipt of e-mail of intimation shall not be entertained.

(4) The candidates found eligible for entrance examination shall have to appear in the written examination conducted by the authority authorised by the Commissioner or prescribedauthority. The entrance examination may be conducted online or offline, as per the decision of the authority authorised for conducting entrance examination.

(5) The authority authorised to conduct the entrance examination shall, subject to provisions of sub-rule (6), prepare a category wise merit list of candidates on the basis of marks obtained in entrance examination and bonus marks as specified in sub-rule (7), if any.

(6) The reservation of seats in guide training course shall be such as may be determined by the State Government, from time to time. If any seats of guide training course reserved for the reserved category candidates remain unfilled, the same shall be filled in from applicants belonging to general or other categories on the basis of merit. Since the selection and training for tourist guides is aimed to prepare them for self-employment, hence there shall be no carry-forward of vacant number of seats.

(7) The candidates having educational qualification in any Indian or foreign language shall be awarded bonus marks while preparing merit list for admission to guide training course. Bonus marks shall be awarded as under:-

(i) Ten marks for having a degree in an Indian language, listed in the Eighth Schedule of the Constitution of India, granted by the university recognized by the University Grants Commission (UGC)/ equivalent institution/deemed university,

(ii) Five marks for having diploma in an Indian language, listed in the Eighth Schedule of the Constitution of India, granted by the university recognized by the University Grants Commission (UGC)/ equivalent institution/deemed university,

(iii) Three marks for having certificate in an Indian language, listed in the Eighth Schedule of the Constitution of India, granted by the university recognized by the University Grants Commission (UGC)/ equivalent institution/deemed university, and

(iv) Ten marks for degree, five marks for diploma and three marks for certificate in a foreign language granted by a registered institute running courses in foreign languages for at least last 10 years or approved or recommended by the University Grants Commission (UGC)/Embassies.

(8) The candidates who are selected finally for admission to training as a guide on the basis of marks obtained in entrance examination and bonus marks, if any, shall submit an application in Form C, along with fee specified
for training. The candidates selected for the training have to undergo training for the duration as decided by the Department of Tourism, Rajasthan.

(9) The training for the Local Level Guides shall be arranged locally by the authority authorised by the Commissioner and the training for the State Level Guides shall be arranged at Jaipur and/ or major cities in the State under the overall control and supervision of the Additional Director Administration/Development, Department of Tourism who shall also be the prescribed authority as defined in clause (o) of section 2 of the Act for the purpose of licensing of State Level Guides.

7. Relaxation in age, educational qualification and training.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, theCommissioner may, if he is satisfied that the incumbent seeking license has sufficient experience for Guiding the Tourists and is fit to take assignments as a Guide and needs to be licensed, grant relaxation from the maximum age and training course in the manner as specified in sub-rule (2) and issue Guide License in Form D-I or Form D-II, as the case may be.

(2) The relaxation from the maximum age and training course may be granted by the Commissioner to the following persons for grant of Guide License, namely:-

(a) Retired Gazetted Officers of the Department of Tourism;

(b) Retired Non-Gazetted officials of the Department of Tourism; or

(c) Retired members of the Armed Forces of the Union:

Provided that persons falling under clause (a) shall be eligible for such relaxation for a license as a State Level Guide and those falling under clause (b) and (c) thereof shall be eligible for such relaxation for a license as a Local Level Guide who may be required to be imparted short training before issuing them licenses.

Provided further that relaxation shall be given to only those candidates who seek such relaxation within two years from the date of their retirement.

(3) The relaxation from educational qualification shall be granted only to the person specified in proviso to rule 4.

8. Training of Local Level Guides.- (1) Whenever a candidate is selected for training as a Local Level Guide, the Department of Tourism shall impart training to him in order to equip him with the information and knowledge for the vocation of a Local Level Guide in accordance with the syllabus of training as specified in sub-rule (2). The training shall be imparted by such instructors and officers of the Department of Tourism or other departments of the State as the Commissioner may determine in this behalf, from time to time.

(2) The syllabus for training course of Local Level Guides shall be as follows, namely:-

Syllabus for Training of Local Level Guides

1. History of Rajasthan (two lectures).
2. Overview of various religions of India.
3. Art, culture and various traditions of Rajasthan (two lectures).
4. Fairs & festivals of Rajasthan.
5. Dance & Music of Rajasthan.
6. Architecture of Rajasthan, temple architecture (two lectures).
7. Information on local monuments (four lectures).
8. Wild life, flora & fauna of Rajasthan.
9. Important tourist destinations of Rajasthan (two lectures).
10. Youth tourism, Adventure tourism, Eco-tourism, Pilgrim tourism, Responsible tourism (two lectures).
11. Yoga & Meditation
12. Heritage Hotels & their contribution to Rajasthan Tourism.
13. Transport facilities, hotels, cuisine.
14. How to book, confirm air/rail/bus tickets.
15. Visa, passport, foreign exchange formalities.
16. How to be a good Guide (two lectures).
17. Basic manners and etiquettes towards tourists especially women and children.
18. How to draw up tour programme
19. How to conduct sightseeing (three lectures).
20. Local Handicrafts, merits & demerits of taking tourists for shopping.
21. Covid-19, Disaster management, Search & Rescue Operations, Swacchh Bharat Abhiyan
22. Tourist Assistance Force

(3) This syllabus may be revised by the Department of Tourism, from time to time, as per requirement of Tourism Trade.

(4) The training course for Local Level Guide shall be for a duration of minimum 48 hours with mandatory attendance of 80% for all the trainees.

(5) During or at the completion of the training where it may appear to the officer in-charge of the training course that certain candidates are deficient as to the required knowledge and information with respect to a particular field covered under the training course and when this fact is brought to the notice of the Commissioner and he is of the opinion that required knowledge is essential for those candidates before taking up the vocation as a Guide and a further boosting of their knowledge will be an added advantage, in such a situation, the training may be extended suitably by the Commissioner in regard to such candidates.

(6) Ordinarily, the training shall be imparted by the officers of the Department of Tourism but, where necessary, officers from other departments of the State may also be associated who may be having special knowledge in any particular specialized field. Eminent educationists such as Professors, Lecturers and other Specialists, Experts from required field may also be invited for delivering lectures and imparting training to the trainee Guides.

(7) Where it may appear to the Commissioner that practical training or on the spot training is necessary for Local Level Guides, he may direct for the same before licensing them as Local Level Guide.

(8) Every applicant will have to complete the training to the satisfaction of the officer in-charge who will issue a training completion certificate in the format prescribed by the Prescribed Authority.

9. Training of State Level Guides.- (1) Whenever a candidate is selected for training as a State Level Guide, the Department of Tourism shall impart training to him in order to equip him with all information and knowledge for the vocation of a State Level Guide in accordance with the syllabus of training as specified in sub-rule (2).

(2) The syllabus for training course of State Level Guide shall be as follows, namely :-

Syllabus for Training of State Level Guides

1. History of India and the State.
2. Achievements of the State in the field of Technology and Industrialization.
3. Development of the State with special reference to tourism sector.
4. Major religions of India,-
   (a) Hinduism
   (b) Islam
   (c) Christianity
   (d) Sikhism
   (e) Buddhism
   (f) Jainism
   (g) Zoroastrianism
5. Art, culture and popular traditions in the State.
6. Archaeology of the State.
7. Dances of the State.
8. Architecture of the State.
9. Music of the State.
10. Wild life of the State, Flora and Fauna, Wild Life Sanctuaries & National Parks.
11. Tourist Reception Centers/ Information Bureaus within and outside State.
12. Youth Tourism/Adventure Tourism, Trekking and other activities in the State.
13. Handicrafts of the State.
14. Shopping in the State.
15. Working knowledge of items 5-14 above in context of India.
16. Role and Activities of Tourism Department,-
    (a) Marketing & Promotion
    (b) Infrastructure Development
    (c) Schemes and Projects
    (d) Public relations, Media relations
    (e) Hospitality
    (f) Interaction of Travel Trade
    (g) Tourist Assistance Force and Guiding Services
    (h) New Tourism Policy 2020
17. Surface Transportation in the State,-
    (a) Indian Railways
    (b) Approved Tourist Transport Operators
    (c) Road Services
    (d) Indian Association of Tour Operators (IATO).

18. Rajasthan Tourism Development Corporation/Rajasthan State Hotel Corporation Limited.
19. Palace on Wheels.
20. Cuisines of the State.
21. Yoga, Meditation and Wellness Tourism.
22. Hotel accommodation in the State,-
    (a) Approved Hotels, Heritage Hotels, Star Hotels,
    (b) Classification of Hotels,
    (c) Traveller lodges, Bread & Breakfast, PG Houses,
    (d) Forest lodges and other Rest Houses,
    (e) Dharamshalas, guest houses & other accommodation, and
    (f) Knowledge of online booking, Homestay facilities.
23. Travel agents, tour operators, excursion agents and safari operators of the State.
24. How to draw up tour programs/itineraries and book services online.
25. Practical Training about-
    (a) the art of conducting sight-seeing,
    (b) how to be a good Guide, and
    (c) sight-seeing tours of selected places in the State.
26. Covid-19, Disaster Management, Search & Rescue operations, Swacchh Bharat Abhiyan.

(3) This syllabus may be revised by the Department of Tourism, from time to time, as per requirement of Tourism Trade.

(4) The training course shall be for a duration of minimum 60 hours with mandatory attendance of 80% for all the trainees.

(5) The training of State Level Guides may, besides class room lectures, encompass tour programme of important tourist destinations in the State where on the spot training will be imparted to the trainees by trainers, departmental officers, acting experienced Guides with special emphasis on important land marks, heritage sites including monuments as also on eco-tourism, wild life safari etc. which may be a practical training for trainees.

(6) All expenses of outdoor training, if any, shall be borne by the trainees themselves. However, the Department of Tourism shall coordinate the tour for training to ensure economy in the matters of travel, boarding and lodging at various places and locations.

(7) During the training of trainees for State Level Guides, lectures of persons of eminence in specific fields relevant to training viz- Administrators, Professors, Readers, Lecturers, Experts in specialized fields relevant for tourism may also be arranged by the Department.

(8) Group discussions may also be organized frequently to inculcate understanding among trainees and to build confidence in them for interaction with a group of people/tourists.

(9) Every applicant will have to complete the training to the satisfaction of the officer in-charge who will issue a training completion certificate in the format prescribed by the Prescribed Authority.

9A. Application for licensing as a Guide.- (1) On successful completion of training by the trainees, they shall be declared eligible to be licensed as Guides.

(2) All those persons who are eligible to be licensed under sub-rule (1) may apply for license to the Additional Director (Administration/Development), Tourism Department, Rajasthan in Form C-I for State Level Guide license or to the concerned prescribed authority in Form C-II for Local Level Guide, alongwith proof of payment of license fee as may be determined by the Commissioner, from time to time and police verification of good conduct and character from the local police station in whose jurisdiction the candidate is residing. Without police verification, the candidate shall not be considered for issuance of Guide ID cum License card.

(3) After receipt of application in C-I or C-II, the prescribed authority shall issue Guide ID cum License card in Form D-I to State Level Guides and in D-II to Local Level Guides.
(4) The Guide ID cum License card issued under sub-rule (3) shall remain valid for a period of two years which may be renewed as per rules, if applied for, within 3 months of expiry of validity after paying renewal fee as determined by the Commissioner Tourism for State Level and Local Level Guide. Beyond that it may be renewed on payment of additional renewal fee for the delay as determined by the Commissioner Tourism for both categories of Guides and subject to general conditions laid down for all the Guides. During the pendency of renewal, the prescribed authority shall issue a certificate in Form-D-III.

(5) Every State Level Guide shall communicate to the Tourist Reception Centre/Tourist Information Bureau and the concerned prescribed authority his principal place of working and mobile contact number and shall also inform about his activities to the nearest tourist information bureau or tourist reception centre in the State wherever he operates. Any change in the address and telephone number shall be communicated to the concerned authorities and officers of the Department of Tourism, Rajasthan.

(6) Any failure on the part of the State level Guide to comply with the aforesaid condition shall make him liable for cancellation of Guide ID cum License card:

Provided that before ordering for cancellation of certificate and identity card for any such lapse, the prescribed authority shall afford opportunity of hearing to the concerned Guide and where the explanation offered by him appears to be satisfactory, the purported action may not be taken.

(7) All Guide ID cum License cards that have been issued by the Department of Tourism to persons as State Level Guides or as Local Level Guides before the commencement of these rules shall hold good and remain valid for their

validity period and shall be deemed to have been issued under these rules but shall, however, be subject to renewal as per these rules and all such Guides shall, from the date of commencement of these rules, be governed by the provisions of these rules.

(8) Commissioner Tourism under these rules shall be competent to issue directions, from time to time, with regard to all matters related to selection of guides, their training, prescribing fee and issue of license."

3.Amendment of Form C.- In Form C appended to the said rules, for the existing expression "[See rule 4(1)]", the expression "[See rule 6(8)]" shall be substituted.

4.Amendment of Form C-I.- In Form C-I appended to the said rules, for the existing expression "[See rule 9(2)]", the expression "[See rule 9A(2)]" shall be substituted.

5.Amendment of Form C-II.- In Form C-II appended to the said rules, for the existing expression "[See rule 9(2)]", the expression "[See rule 9A(2)]" shall be substituted.

6.**Amendment of Form D-I.-** In Form D-I appended to the said rules, for the existing expression "[See rule 9(3)]", the expression "[See rule 9A(3)]" shall be substituted.

7.**Amendment of Form D-II.-** In Form D-II appended to the said rules, for the existing expression "[See rule 9(3)]", the expression "[See rule 9A(3)]" shall be substituted.

8.**Amendment of Form D-III.-** In Form D-III appended to the said rules, for the existing expression "[See rule 9(4)]", the expression "[See rule 9A(4)]" shall be substituted.

[No. F8 (428)/Trade/DT/19/998]
By Order and in the name of the Governor,
Gayatri Rathore,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।